(4)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी—अर्पिता सोनी (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 48 / 2021 दायरा दिनांक 05.08.2021

GCMS CASE NO- 2021/00048

धर्मपाल पुत्र श्री रामलाल जाति मेघवाल साकिन गोविन्दसर उपतहसील राजियासर स्टेशन तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़

(रेस्पोडेंट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः—

1. श्री राजवीर भादू, अधिवक्ता अपीलांट
2. पैरोकार राज

:: निर्णय :: दिनांकः—31.10.2023

यह अपील न्यायालय उप तहसीलदार (राजस्व) राजियासर स्टेशन के प्रकरण संख्या 36 / 2021 अनवान सरकार बनाम धर्मपाल में पारित निर्णय दिनांक 25.02.2021 के विरूद्व इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलांट ने जरिये अपील निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार (राजस्व) राजियासर स्टेशन ने अपीलाधीन आदेश में अपीलांट की जैर अपील भूमि तहसील सूरतगढ़ के चक 1 जी.डी.एम. के मु.न. 81 / 12 में 1.518 है0 अ0क0 भूमि को नाजायज कब्जा काश्त दिखाकर अपीलांट को अवैध अतिक्रमी मानकर मौके पर खड़ी फसल को कुर्क करने के आदेश दे दिये। जैर अपील रकबा बाबत अपीलांट को विना सुने ही पीठ पीछे जैर अपील आदेश पारित कर दिया जो कतई गलत एवं गैरकानूनी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार (राजस्व) राजियासर स्टेशन का निर्णय दिनांक 25.02.2021 खारिज किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री राजवीर भादू हाजिर आये तथा रेस्पोडेंट पैरोकार राज उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर बहस उमय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25.02.2021 को जैर अपील आदेश पारित कर दिया व इस फैसले की जानकारी अपीलांट को प्रथम बार दिनांक 21.06.2021 पटवारी हल्का ने बताया कि जैर प्रकरण रकबा में आपके खिलाफ मातहत न्यायालय ने बेदखली के आदेश पारित किए गये हैं। अपीलांट द्वारा उसी दिन नकल हेतु आवेदन कर दिया गया था। नकल प्राप्त होते ही विना किसी देरी किये अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर दी गई। अपीलांट द्वारा जान बूझ कर अपील देरी से पेश नही की गई है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

पैरोकार राज द्वारा ना तो उक्त प्रार्थना पत्र का कोई जवाब पेश किया गया तथा ना ही अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का प्रति शपथ पत्र पेश किया गया। दौराने बहस भी प्रार्थना पत्र स्वीकार करने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गई।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अपीलांट ने देरी का जो कारण बताया है वह उचित व संतोषजनक प्रतीत होता है। उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार करने पर रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपत्ति भी नहीं की गई है। प्रकरण में कानूनी विन्दु निहित है। इसलिए हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

प्रकरण में बहस उमय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट का तहसील सूरतगढ़ के चक 1 जी.डी.एम. के मु.न. 81 / 12 में 1.518 है0 अ0क0 रकबा पर पुराना कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसकी नियमन की पत्रावली न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2024.01.23 17:15:08 IST
Reason: SelfAttested

अर्पिता

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

806

Scanned with OKEN Scanner

उपखण्ड अधिकारी एवं आवंटन अधिकारी सूरतगढ के समक्ष पेश की हुई है, अपीलांट उक्त रकबा नियमन/आवंटन करवाने का पूर्णतया हकदार है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का अतिक्रमी की हैसियत से कब्जा मानकर नाजायज काश्त का नोटिस दे दिया जबकि पटवारी हल्का द्वारा कोई शपथ पत्र पेश नही किया गया केवल मात्र शिकायतकर्ता के प्रा0 पत्र के आधार पर गलत रिपोर्ट पेश की गई, पटवारी हल्का द्वारा मौका पर जांच ही नहीं की गई, ना ही कोई पैमाईश व निशानदेही दी गई। अपीलांट को बिना सुने बिना सूचना दिये पूर्णतया एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश जारी कर दिया। राज्य सरकार ने अधिसूचना सं. एफ 4(16) कोलो/99 जी.एस.आर. 89 दिनांक 11.01.2000 द्वारा प्रावधान किया कि अगर कोई व्यक्ति राजकीय भूमि पर दिनांक 01.01.2000 से 7 वर्षों में से किन्ही 5 वर्षों तक भी कब्जा है तो उसे व्यक्ति की डी.एल.सी. दरों पर आवंटन कर दिया जावे, उसे बेदखल ना किया जावे व आवंटन नियम 1975 के उपनियम 21 ए में डी.एल.सी. की पूर्ण राशि जमा करवाकर अतिक्रमी को आवंटन करने का प्रावधान है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने नियमों की अनदेखी कर निर्णय पारित किया गया जो पूर्णतया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.02.2021 निरस्त किया जावे।

पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ने राजकीय भूमि पर नाजायज काश्त कर अतिक्रमण किया है। अपीलाधीन आदेश सही पारित किया गया है। अपीलांट के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरता से अवलोकन, मनन व चिंतन किया, जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील रकबा बाबत अपीलांट को बिना सुने, बिना सूचना दिये अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना प्रतीत नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जरिये नोटिस सूचित किया गया। बावजूद सूचना के अपीलांट के अधीनस्थ न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर जैरअपील आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया। अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित किया है कि अपीलांट का तहसील सूरतगढ़ के चक 1 जी.डी.एम. के मु.न. 81/12 में 1.518 है0 अ0क0 रकबा पर पुराना कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसकी कब्जा काश्त की नियमन की पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं आवंटन अधिकारी सूरतगढ के समक्ष पेश की हुई है, जिसकी अनदेखी करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया, जबकि उक्त आवेदन अपीलांट द्वारा जैरअपील आदेश पारित होने के पश्चात किया है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से निरस्ती योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 25.02.2021 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2024.01.23 17:15:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner